भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 78

उत्तर देने की तारीख: 12/12/2022

विश्वविद्यालयों/उच्च शिक्षा संस्थानों में रिक्त शिक्षण पद

†*78. एडवोकेट ए. एम. आरिफ:
डॉ. डी. रविकुमारः

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि देशभर में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में स्वीकृत शिक्षण पदों में से 33 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त हैं जिसके कारण शिक्षा की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हो रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) देश के विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षण संकाय की रिक्तियों, जिसमें शिक्षण पदों में अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए बैकलॉग रिक्तियां भी शामिल हैं, को समयबद्ध तरीके से भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है; और
(घ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) और केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों में स्वीकृत पदों और रिक्त पदों की संख्या का संस्थान-वार और पद-वार, आरक्षित तथा अनारक्षित पद-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री
(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

"विश्वविद्यालयों/उच्च शिक्षा संस्थानों में रिक्त शिक्षण पद" के संबंध में माननीय संसद सदस्य एडवोकेट ए. एम. आरिफ और डॉ. डी. रविकुमार द्वारा दिनांक 12.12.2022 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 78 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): रिक्तियों का होना और उन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय संबंधित केंद्रीय अधिनियमों के तहत स्थापित स्वायत्त निकाय हैं। वे अधिनियमों/संविधियों/अध्यादेशों के तहत बनाए गए उपबंधों द्वारा शासित होते हैं। उनकी भर्ती प्रक्रिया उनके सांविधिक निकायों द्वारा उनके अधिनियमों/संविधियों/नियमों और यूजीसी विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की जाती है। शिक्षा मंत्रालय के दायरे में आने वाले नियमित मोड के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 18956 स्वीकृत शिक्षक पदों में से दिनांक 01.12.2022 की स्थिति के अनुसार 12776 पद भरे जा चुके हैं और 6180 पद रिक्त हैं। शिक्षा मंत्रालय ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) को मिशन मोड में रिक्तियों को भरने का भी निर्देश दिया है।

(ग): मंत्रालय ने मिशन मोड में रिक्तियों को भरने के लिए सभी उच्च शिक्षा संस्थाओं (एचईआई) को लिखने के अलावा एक मासिक निगरानी तंत्र स्थापित किया है। विश्वविद्यालय को एक इकाई मानते हुए रोस्टर तैयार करना सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 09.07.2019 को केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 अधिसूचित किया गया है। साथ ही, इस अधिनियम के अनुसार, अनुसूची में सूचीबद्ध संस्थानों और अधिनियम में बताए गए कुछ अन्य अपवादों को छोड़कर सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू है। इसके अलावा, इस अधिनियम के अनुसार, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक संवर्ग में सीधी भर्ती के सभी पदों के लिए आरक्षण प्रदान किया जाता है। इस अधिनियम के अधिनियमन के बाद कोई भी आरक्षित पद अनारक्षित नहीं होगा।

(घ): भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) और केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों में स्वीकृत पदों और रिक्त पदों की संख्या का संस्थान-वार और पद-वार विवरण संलग्न है।

अनुलग्नक

"विश्वविद्यालयों/उच्च शिक्षा संस्थानों में रिक्त शिक्षण पद" के संबंध में माननीय संसद सदस्य एडवोकेट ए. एम. आरिफ और डॉ. डी. रविकुमार द्वारा दिनांक 12.12.2022 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 78 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

क्र.सं.	संस्थान	पद	संस्वीकृत पदों की संख्या							रिक्त पदों की संख्या						
			सा.	एससी	एस टी	ओबी सी	ईडब्ल्यू एस	पीडब्ल्यू डी	कुल	सा.	एससी	एस टी	ओबी सी	ईडब्ल्यू एस	पीडब्ल्यू डी	कुल
1	केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयू)	प्रोफेसर	1564	307	142	367	111	62	2553	705	231	124	311	101	57	1529
		एसोसिएट प्रोफेसर	3073	620	302	752	233	130	5110	771	401	232	576	211	113	2304
		सहायक प्रोफेसर	6099	1357	698	2332	486	321	11293	791	276	188	672	289	131	2347
2	राष्ट्रीय तकनकी संस्थान (आईआईटी)	संकाय पद	11170							4502						
3	राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम)	संकाय पद	1197	97	40	184	48	अलग श्रेणी नहीं	1566	266	53	34	98	42	अलग श्रेणी नहीं	493

*आईआईटी और आईआईएम संकाय पदों के लिए फलैक्सी कैडर